(51)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2070—तीन / 2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 18.08.06 के द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण क्रमांक 984 / 05—06 / अपील.

....

1— अंजनी कुमार सिंह तनय सूर्ये नारायण सिंह

2— अरुण कुमार सिह तनय सूर्यनारायण सिह

3. आनन्द बहादुर सिह तनय सूर्यनारायण सिह

4. सूर्यनारायण सिह तनय गोविन्द सिह

5 . श्यामवती सिह पत्नी इन्द्रबहादुर सिह

सभी निवासीगण —ग्राम लोढी तहसील

हनुमान जिला—रीवा ......आवेदकगण

विरूद्ध

1.फतेबहादुर सिह तनय छोटेलाल सिंह

2.वीरेन्द्र बहादुर सिह तनय फतेबहादुर सिह

3.रामविलास सिह तनय जयकरण सिह

4.रामराज सिह तनय जयकरण सिह

5.अमरेन्द्र बहादुर सिह

6. अमर जीत सिह / नावालिग संरक्षण पिता वीरेन्द्र सिह बहादुर सिह

निवासी— ग्राम लोढी तहसील हनुमान जिला—रीवा म0प्र0

7.बेवा सूरत बहादुर सिह पत्नी सूरत सिह

8. संजय सिह 9. प्रशान्त सिह10. विवेक सिह

पुत्रगण—सूरत सिह निवासी—शंकर टाकीज के पास

तहसील महूगंज जिला रीवा म0प्र

11.सुरेन्द्र बहादुर सिह पुत्र गुलाव सिह

12.अनुग्रह प्रताप सिह पुत्र सरपरस्ती पिता वीरेन्द्र वहादुर

13.भदुनाथ सिह पुत्र छोटेलाल सिह

14.परसुराम सिह पुत्र लाल मणि सिह

15.इन्द्रबहादुर सिह पुत्र भाम्भू सिह

16.श्रीमती मिथलेश सिह पत्नी जीतेन्द्र बहादुर सिह

17.गिरिजा प्रसाद

18.भाोभानाथ पुत्रगण रधुनाथ नाई

निवासी ग्राम लोढी तहसील हनुमान

जिला–रीवा म0प्र0 ———अनावेदकगण

....

श्री डी0 एस0 चौहान, अभिभाषक, आवेदकगण

अनावेदकगण एक पक्षीय है।

....

आदेश

(आज दिनांक 06-11-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 984/अपील/05–06 में पारित आदेश दिनांक 18.08.06 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जावेगा) की धारा–50 केअंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने। उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों एवं अभिलेखों का अध्ययन किया गया ।

3– मेरे द्वारा अपील मेमो एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित ओदश दिनांक 18.06.06 का विधिवतः अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में लंबित प्रकरण कमाक 767 / 05–06 में पारित आदेशा दिनांक 23.06.06 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.06 के विरुध निगरानी लंबित थी जिस पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा न्यायालय द्वारा आगामी पेशी तक स्थगन आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.07.06 का उक्त आदेश पारित कर दिया गया। वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की अवहेलना अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा की गयी है अधीरस्थ न्यायालय की यह कार्यवाही कदाचरण की श्रेणी आती है । ऐसा प्रतीत होता है कि रेस्पोडेगणो से प्रभावित होकर अधीनस्थ न्यायालय में इन्हीं आराजियों से संबधित और इन्हीं पक्षकारो के बीच प्रकरण विचाराधीन रहते हुये तथा इस न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 23.06.06 के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही विधि विरुद्ध था। अतः अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.06 निरस्त किया गया है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 18.8.06 स्थिर रख़े जाने योग्य है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण क्रमांक 984 / 05–06 / अपील में पारित आदेश दिनांक 18.8.06 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर